कार्यालय–प्रधानाचार्य **देवनारायण**

राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय,मेहाड़ा गुर्जरवास, खेतड़ी (झुझुनूं)

निविदा प्रपत्र स. 075-2022–23(वित्तीय निविदा) /075

प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय,मेहाड़ा गुर्जरवास, खेतड़ी (झुझुनूं)

में जॉब बेसिस सेवाएं संविदा कार्य व्यवस्था हेतु संविदा पर रजिस्टर्ड ठेकेदार/ऐजेन्सी के माध्यम से जॉब बेसिस के आधार पर करवाने हेतु।

कार्य आधारित सेवाओं के उपापन के लिए ई–वित्तीय बोली/प्राईस बोली ई–प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ)में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगीः–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य करने हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या मय श्रेणी	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी (प्रति माह प्रति ईकाई) रूपये में	EPFदर प्रतिषत 12.%	ESIदर प्रतिषत 3.25%	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि(प्रति माह प्रति ईकाई) प्रतिशत के रूपये में	कुल राशि (प्रति माह प्रति ईकाई) प्रतिशत के रूपये में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जॉब बेसिस चर संविदा कार्य	कुशल श्रमिक– 07	8280 (30 दिन)	नियमानुसार	नियमानुसार	BOQ में अंकन करना है।	
		अकुशल श्रमिक–08	7560 (30 दिन)	नियमानुसार	नियमानुसार	BOQ में अंकन करना है।	

नोट–1. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 6 पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर BOQ में ही ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 7 में ही बोलीदाता द्वारा सुमचित प्रविष्टियों का ई प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित BOQ में ही अंकित कर अपलोड की जायेगी ।

2. स्तम्भ संख्या 4 में दी गई न्यूनतम मजदूरी की गणना 30 दिवस (पुर्ण माह)के अनुसार की गई है।
3. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST)राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
4. बिडदाता को दर एवं प्रतिशत के रूप में सर्विस चार्ज अंको एवं शब्दो में अंकित करना होगा।
5. शुन्य एवं ऋणात्मक दर अस्वीकार्य होगी।
6. दशमलव में प्रदर्शित दर अस्वीकार्य होगी।
7 ऑनलाइन BOQ के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर दरों का प्रकटन नही कि

हस्ताक्षर

नाम ....

मो.न.......

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस)

कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास (झुन्झुनूं)राज

(निविदा प्रपत्र शुल्क 1000 रू.)
तकनीकी निविदा प्रपत्र

ई / खुली-निविदा सूचना संख्या – 01/2022-23

12. कार्य का विवरण– जॉब बेस सेवाऐं
13. निविदा जिस कार्यकारी एजेंसी के लिए प्रस्तुत की गई है का नाम प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं)।
14. निविदा की अनुमानित लागत 12.50 लाख अंकेही बारह लाख पचास हजार मात्र
15. निविदा प्रस्तुत करने वाले अनुभवी कार्यरत/पंजीकृत फर्म का नाम व पूर्ण पता :- ....
16. निविदा जिसको सम्बोधित की जानी है:– प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं)।
17. फर्म द्वारा तकनीकी बिड हेतु निम्नानुसार प्रपत्र में सूचनायें आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावें :–

---

18. हमारी फर्म मै0 .... के रूप में एकाकी/साझेदारी/प्रा0लि0/लि0कम्पनी /हिन्दू अविभाजित परिवार है, और मै फर्म की ओर से ....(स्वामी/साझेदार/प्रतिनिधि/कर्ता) के रूप में अधिकारी स्वरूप पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने हस्ताक्षरो से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ।
19. हमने निविदा राशि की 2 प्रतिशत बिड सिक्यूरिटी राशि का बैकर्स चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक.................... राशि/रू.............. .... देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं) के पक्ष मे बैंक इंडियन ओवरसीज मेहाड़ जादूवास शाखा पर देय है संलग्न कर दिया गया है।
20. निविदा शुल्क रू. 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संख्या.............................. दिनांक .... जो कि बैंक.................................. .... स्थान .... से देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुजरवास (झुन्झुनूं) के नाम रेखांकित और शाखा बैंक इंडियन ओवरसीज मेहाड़ जादूवास पर देय है। संलग्न कर दिया है।
21. हमारी फर्म/संस्था/कम्पनी का कार्यालय .... पर स्थित है जिसका फोन नं0/मोबाईल.................................. है।
22. हमारी संस्था के संबंध में अन्य आवश्यक सूचना निम्न प्रकार है:–
23. माल व सेवा कर अधिनियम 2017 में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न है। हां/नही
24. नवीनतम जी.एस.टी. जमा की रिटर्न ऑनलाइन जमा करवाने के प्रमाण हेतु **GSTR 3B** की प्रति जो दिसम्बर 2021 पूर्व की न हो संलग्न है। हां/नहीं
25. फर्म की जी.एस.टी. नंबर.................................. प्रति संलग्न। हां/नहीं। फर्म का रजिस्ट्रशन कम से कम दो वर्ष पुराना होना चाहिये।
26. विगत लगातार दो वर्षो मे मेरी फर्म का टर्न ऑवर निविदा की अनुमानित राशि के बराबर अथवा अधिक रहा है। टर्न ऑवर के प्रमाण हेतु गत दो वर्षो के सी.ए. से प्रमाणित अन्तिम खाते व बैलेंस शीट का प्रमाण पत्र संलग्न है। हां/नही
27. हमारी संस्था के एस.आर.प्रारूप–11 की घोषणा सलग्न है। हां/नही
28. फर्म के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपी सलग्न है। हां/नही
29. फर्म को विवर्जित/ब्लैकलिस्ट नही करने का शपथ पत्र 50 रू. के स्टाम्प पर नोटेरी से प्रमाणित हो, संलग्न है। हां/नही
30. यदि तकनीकी बिड के पश्चात हमारी वित्तीय बिड में दरे अनुमोदित होने के साथ हम संलग्न शर्तो के अतिरिक्त अन्य सभी दिषा निर्देषो व आदेषों से भी सहमति व्यक्त करते है, जो हमे समय–समय पर प्राप्त होगें।
31. निविदा शुल्क एवं धरोहर राषि की डीडी एवं प्रोसेसिंग फीस जमा का चालान संलग्न है। हां/नहीं
32. सन्तोषजनक सामग्री/सेवाएं आपूर्ति करने का क्रेताधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है। हां/नही
33. जन प्रतिनिधि नही होने का प्रमाण पत्र। हां/नही

उपरोक्त तकनीकी बिड हमने पूर्ण जानकारी और विश्वास से साथ प्रस्तुत की है। किसी भी सूचना के असत्य अथवा गलत साबित होने पर हम सामुहिक और व्यक्तिक जिम्मेदारी लेते है तथा हमारी प्रतिभूति को समर्पित/अपहृत का अधिकार देते है।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय फर्म की सील

शर्तें:–

5. निविदादाता उपरोक्त शर्तो को ध्यान से पढकर आगे दिये गए कॉलम में पूर्ति करेगा तथा आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज संलग्न करेगा।
6. निविदा को निविदा सूचना एवं निविदा प्रपत्र में दिए गए निर्देशो के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत करें। तकनीकी निविदाओं में पात्र पाए जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
13. बिड सिक्यूरिटी राशि एवं निविदा शुल्क राषि के डीडी. एवं फर्म ब्लेक लिस्टेड/विवर्जित नही होने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल भौतिक रुप से दस्तावेज जमा करवाने की तिथि 07.09.2022 को प्रा:त 9 बजे तक प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं)। मे जमा करवाना आवश्यक है इसके अभाव मे निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (राईस)

कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं)राज.

वितिय निविदा प्रपत्र

निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 07.09.2022

निविदा सूचना संख्या ...75.... / 2022–23

1 कार्य का विवरण– जॉब बेस संवाऐं

2 निविदा की अनुमानित लागत राशि :-12.50 लाख

3 निविदा प्रस्तुत करने वाले अनुभवी कार्यरत/पंजीकृत फर्म का नाम व पूर्ण पता :-..

....

....

4 निविदा जिसको सम्बोधित की जानी है– प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं)राज.

5 हम प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय मेहाड़ा गुर्जरवास (झुन्झुनूं)राज.द्वारा जारी की गई उपरोक्त निविदा सूचना मे वर्णित सभी शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनके उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।

6 BOQ में समिलित सामग्री की दरें समस्त लागत एवं करों सहित होंगी।

मैं/हम BOQ में वर्णित दरों पर / वर्णित दरों से –........................ (शब्दों में.. ....) प्रतिशत कम/अधिक दर पर सामग्री देने हेतु सहमत है।

निविददाता के हस्ताक्षर मय सील

Scanned with CamScanner

कार्यालय–प्रधानाचार्य देवनारायण

राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय,मेहाड़ा गुर्जरवास, खेतड़ी (झुझुनूं)

जॉब/कार्य एवं विशिट भार्तेः–

1. निविदादाता का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण विधालय/छात्रावास परिसर मय स्टॉफ क्वार्टर रहेगा।
2. निविदादाता द्वारा समय समय पर ओवरहेड टेंक व अण्डर–ग्राउण्ड वाटर टेंक की सफाई सुचारू रूप से स्वंय के खर्चे पर करवाई जाएगी।
3. विद्यालय में किसी भी समय आव यकता होने पर तुरन्त ही निविदादाता द्वारा सेवाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
4. पानी को कीटाणाओं से मूक्त रखने हेतु विधालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सामग्री का प्रयोग करना होगा ।
5. प्रधानाचार्य एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय समय पर जारी निर्दे ानुसार सम्बन्धी कार्य करना।

छात्रावास में कार्य की विशिश्ट भार्तेः–

1. किसी भी प्रकार की सामग्री का अपव्यय नही करना।
2. बोलीदाता के कर्मकार का सही ढंग से स्वच्छतापूर्ण ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहियें।
3. बोलीदाता के कर्मकार का भाारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना आव यक है।
4. बोलीदाता के कर्मकार को निर्धारित समय पर उपस्थित होना व निर्धारित पारी व समय अनुसार बिन्दु संख्या के अनुसार कार्य करना।
5. बोलीदाता के कर्मकार को स्वयं के खाने पीने के लिए किसी प्रकार की खाद्य सामग्री देय नही है।
6. बोलीदाता के कर्मकार को स्वयं को खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना होगा।
7. बोलीदाता के कर्मकार को छात्रावास में छात्राओ से मधुरभाशी होना एवं किसी प्रकार की कठोरता व अप्रिय भाशा का प्रयोग न करना।
8. बोलीदाता के कर्मकार को अपने कार्य के प्रति पूर्ण निश्ठा व दायित्व की पूर्ति करना।
9. बोलीदाता के कर्मकार को विद्यालय के प्रयोग में आने वाली सामग्री या सामान में कमी दुरूपयोग या खराब होने पर सेवाप्रदाता को वहन करनी होगी।
10. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतो ाप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर संबंधित अधिकारी जिसके यहां कार्य किया जाता है, के द्वारा बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हे प्रभावित किया जावेगा।
11. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आव यक हो तो किसी भी प्राकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा झुन्झुनूं में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
12. कु ाल श्रेणी कर्मकारो द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं करने पर संेवेदक/बोलीदाता द्वारा 4 दिवस में उसके स्थान पर अन्य कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
13. कु ाल श्रेणी कर्मकारो द्वारा कार्य छोडने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहन पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा अविलंब उसके स्थान पर अन्य रसोइया (कु ाल श्रेणी) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
14. कु ाल श्रेणी कर्मकारो द्वारा कार्य स्थाल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य/असन्तोशप्रद आचरण में संलिप्तता की ि ाकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. कु ाल श्रेणी कर्मकारो के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बौलीदाता की होगी।
16. कार्य सम्पदान अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई.करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा,इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. सफल संवेदक/बोलीदाता द्वारा उपलब्धये जाने वाले कार्मिक की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करेगा।

चौकिदार के कार्य

- दीर्घकालीन अवका यथा ग्रीश्मकालीन/ ीतकालीन/मध्यावधि के समय चौकीदार एवं सहायक अपनी सेवाऐं यथावत देंगे उक्त अवका समयावधि मे दिन के समय सहायक एवं रात्री मे चौकीदार अपनी सेवाऐं देंगे सुरक्ष की जिम्मेदारी पूर्णतया चौकीदार की ही होगी।
- निविदाता 24 घण्टे चौकीदार की उपस्थिति सुनि चित करें।चौकीदार द्वारा छा्त्रावास में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण आगंतुक रजि स्टर में दर्ज किया जाए।बिना रजिस्टर में प्रविश्ठि के किसी भी आगंतुक को बालिकाओं से मिलने की अनुमति न दी जाऐ।
- चौकीदार एवं सहायक को विद्याालय एवं छात्रावास में आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी।
- चौकीदार की ड्यूटी राउण्ड में लगाई राएगी।
- चौकीदार/सुरक्षा गार्ड द्वारा परिसर के अन्दर व बाहरी क्षेत्र की निगरानी करनी होगी
- श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक को महीने की मजदूरी की गणवा 26 किन मानकर की जाती है लेकिन चौकीदार की आव यकता पुरे महीने होने के कारण मजदूरी की गणना महिने में (28,30,31)मानकर की जाएगी।

Scanned with CamScanner

चौकिदार के कार्य

- दीर्घकालीन अवका यथा ग्रीश्मकालीन/ ीतकालीन/मध्यावधि के समय चौकीदार एवं सहायक अपनी सेवाऐं यथावत देंगे उक्त अवका समयावधि मे दिन के समय सहायक एवं रात्री मे चौकीदार अपनी सेवाऐं देंगे सुरक्ष की जिम्मेदारी पूर्णतया चौकीदार की ही होगी।
  - निविदाता 24 घण्टे चौकीदार की उपस्थिति सुनि चित करें।चौकीदार द्वारा छात्रावास में आने जाने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण आगंतुक रजि स्टर में दर्ज किया जाए।बिना रजिस्टर में प्रविश्ठि के किसी भी आगंतुक को बालिकाओं से मिलने की अनुमति न दी जाऐ।
  - चौकीदार एवं सहायक को विद्यालय एवं छात्रावास में आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी।
  - चौकीदार की ड्यूटी राउण्ड में लगाई राएगी।
  - चौकीदार/सुरक्षा गार्ड द्वारा परिसर के अन्दर व बाहरी क्षेत्र की निगरानी करनी होगी
  - श्रम विभाग के नियमों के अनुसार एक श्रमिक को महीने की मजदूरी की गणवा 26 किन मानकर की जाती है लेकिन चौकीदार की आव यकता पुरे महीने होने के कारण मजदूरी की गणना महिने में (28,30,31)मानकर की जाएगी।

बगवान के कार्य

- विद्यालय एवं छात्रावास मे वृक्षरोपण पौधों की कटाई–छटाई करना
- परीसर में खाली स्थान पर वृक्षारोपण
- बागवानी कार्य मय उपकरण करना होगा।
- छात्रावास एवं विद्यालय परिसर में गमलों को तैयार करना एवं उनकी देखभाल करना
- विद्यालय प्रशासन द्वारा बागवानी उपयोग हेतु सामग्री उपल्बध करवाई लेकिन उस सामान की देखभाल बागवान द्वारा की जाएगी।
- विद्यालय प्रशासन द्वारा अन्य लेबर कार्य भी करवाया जा सकता है।

इलैक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के कार्य

- विद्यालय एवं छात्रावास परिसर में इलेक्ट्रीकल तकनिकी खराबी को सुव्यवस्थित करना
- विद्यालय एवं छात्रावास परिसर में समस्त कार्य जैसे नल पंखा वाटर कुलर एव सभी इलैक्ट्रीकल युक्तियोंका रखरखाव करना
- बिजली,पानी की व्यवस्था सुचारू रखना।

सफाई कर्मी के कार्य

- विद्यालय एवं छात्रावास में सम्पूण साफ सफाई
- छात्रावास के कमरो व बरामदों में झाडू पोचा प्रतिदिन
- शोचालयों की सम्पूण सफाई
- सफाई हेतु सामग्री विद्यालय प्रशासन द्वारा दी जाएगी
- विद्यालय भवन मे कक्षा कक्षों की झाडू पोचा प्रतिदिन
- विद्यालय एवं छात्रावास के बाहरी परिसर में सफाई
- बरसात के समय छतों की सफाई
- जॉव से सम्वन्धित अन्य कार्य

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील
नामः–..............................
पत्र व्यवहार का पता :–..............................
....
मोबाईल नं.–..............................

Scanned with CamScanner

कार्यालय–प्रधानाचार्य देवनारायण
राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय,मेहाड़ा गुर्जरवास, खेतड़ी (झुझुनूं)

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक–एफ 2(1) वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 संख्या 01/2018 द्वारा जारी परिपत्र की सभी शर्तें निविदादाता द्वारा मान्य होगी।

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948(केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालीक(चंतज.जपउम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आव यकता हो तो ऐसी अं कालीक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाऐं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी। उन्हें उनकी सेवाओं के विरूद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
4. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्थान को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधि संवेदक का होगा। श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनि चत करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनि चत करने के लिये संविदा अवधि के दौरा न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर रा ा का भुगतान किया जा सकेगा।
6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी रा ा से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुश्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
7. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर क्पेचसंल ठवंतक लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, सविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु भ्मसचसपदम नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
8. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
9. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर(ळैज) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
10. श्रम विधि क अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधियूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देश आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके <u>परिणामों/दायित्वों</u> के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।

Scanned with CamScanner

11. यदि संवेदक का कार्य लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिममेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

13. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगा।

14. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आव यक होने की स्थिति में संवेदक को क्मइंत कराने की कार्यवाही करेगी।

15. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देजनर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसायधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त रा‍ि ा को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक् से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त रा‍ि ा के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

16. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादे ा की प्रति श्रम विभाग को संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावेगी।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अधीन आवश्यक शर्तों के साथ–साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के र्ति निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्दे ाों की पालना ा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या ;पपपद्ध से ;गपगद्ध का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किए जाने वाले अनुबंध में अनिवार्य रूप से जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा।

Scanned with CamScanner